समाहरणालय, बेगूसराय।

(जिला राजस्व शाखा)

सर्वसाधारण को सूचित किय जाता है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों में परने वाले हाट/बजार/मेला/बस पड़ाव एवं घाट सैरातों की वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिनांक– 01.04.18 से 31.03.19) के लिए बन्दोवस्ती खुली डाक द्वारा अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय के स्तर पर की जायेगी। स्वीकृत्यादेश की प्रत्याशा में अनुशंसित सुरक्षित पर जमा डाक बन्दोवस्ती की कार्यवाही की जा रही है, किन्तु अनुशंसित सुरक्षित जमा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो वह लेसी को स्वीकार करना होगा।

क्रं0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	प्रस्तावित सुरक्षित राशि	जमानत की राशि	नीलामी का स्थान (सभी सैरातों के लिए)	बन्दोवस्ती की तिथि (सभी सैरातों के लिए)
1	2	3	4	5	6	7
1.	मटिहानी	चाक घाट महेन्द्रपुर वागडोव	136879/–	34220		प्रथम तिथिः–27:3:18 अपराह्न 12:30 बजे। उस दिन डाक नहीं हो पाने की स्थिति में अगली तिथि :– दिनांक 28:3:18
2.	साहेवपुर कमाल	मलहीपुर हाट	110827/–	27707	अपर समाहर्त्ता कार्यालय प्रकोष्ठ, बेगूसराय	को अपराह्न 12:30 बजे उस दिन भी डाक नहीं हो पाने की स्थिति में अगली तिथि :– दिनांक 31:3:18
3.	बलिया	कोहवा नौरंगा घाट	155129/–	38782/–		को अपराह्न 12:30 बजे तदोपरान्त मार्च, 2018 के प्रत्येक सरकारी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में डाक बन्दोवस्ती की जायेगी।

<u>डाक की शर्त्ते</u>

1. जो सैरात जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बन्दोवस्त होगी।
2. बन्दोवस्ती वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बन्दोवस्ती की दिनांक–01.04.18 से 31.03.19 के लिए होगी।
3. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक प्रारंभ होने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि नजारत उप समाहर्त्ता, बेगूसराय के कार्यालय में जमा कर नाजिर रसीद मूल में जमा करना होगा, अन्यथा डाक में भाग नहीं ले सकेगें।
4. सफल डाकवक्ता को बन्दोवस्ती की पूरी राशि एकमुश्त डाक समाप्ति के पश्चात् तुरंत जमा करना होगा। इस शर्त का अनुपालन नहीं होने पर अग्रधन एवं देय राशि जब्त करते हुए दूसरे स्थान पर रहने वाले डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती कर दी जायेगी।
5. डाक बन्दोबस्त की राशि की स्टाम्प शूल्क 5प्रतिशत एवं निबंधन शुल्क 5प्रतिशत वसूली का प्रावधान है जो देय होगा।

6. बन्दोवस्ती प्राप्त डाकवक्ताओं को निर्धारित सरकारी दर पर ही शुल्क वसूली का अधिकार होगा, अन्यथा अनियमितता पायी जाने पर बन्दोवस्ती रद्द कर दी जायेगी।
7. डाकवक्ता को जमानत राशि के साथ जिस डाक में भाग लेना होगा अलग–अलग आवेदन देना होगा एवं अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र जो अनुमंडल पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अथवा अन्य सक्षम पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो जमा करना होगा। साथ ही डाकवक्ता को पैन कार्ड की छायाप्रति दाखिल करनी होगी।
8. पूर्व के बकायेदार बन्दोवस्ती में भाग नहीं ले सकेगें।
9. किसी भी प्रकार की वसूली व्यवधान की स्थिति उत्पन्न होने पर बन्दोवस्ती की राशि में छूट नहीं दी जायेगी।
10. असफल डाकवक्ताओं का अग्रधन की राशि डाक समाप्ति के पश्चात् लौटा दी जायेगी।.
11. बन्दोवस्ती लेने वाले व्यक्ति को डाक के बाद किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। अन्य सभी शर्त्तो जो अधोहस्ताक्षरी के द्वारा तय किये जायेगें का अक्षरशः पालन करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर उनके एकरारनामा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
12. किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये स्थगित/निलंबित अथवा निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
13. इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त शर्त्तो के अधीन निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते है।

26/3/18

अपर समाहर्त्ता,
बेगूसराय।